

परिपत्र बैंक की समस्त शाखाओं, कार्यालयों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु
प्रधान कार्यालय के इन्श्योरेंस विभाग द्वारा जारी

महोदय/ महोदया,

विषय : बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी संख्या : 42130034220400000001, The New India Assurance Co. Ltd) का दिनांक 01.09.2023 से 31.08.2024 की अवधि के लिए प्रस्तावित नवीनीकरण के लिए संशोधित प्रीमियम राशि के सम्बन्ध में।

कृपया हमारे परिपत्रांक प्र०का०/04/ बी.आर/ इन्श्योरेंस/2023-24/137 दिनांकित 17.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिक एवं मृतक आश्रित पति / पत्नी हेतु ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी को दिनांक 01.09.2023 से 31.08.2024 तक की अवधि के नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत करना है कि नेगोशिएशन के विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी M/s The New India Assurance Co. Ltd. द्वारा संदर्भित प्रस्तावित बीमा पॉलिसी के देय प्रीमियम राशि में मात्र रु. 50/- की ही कमी की गयी है। जिसके पश्चात बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित देय प्रीमियम राशि निम्नवत है-

सेवानिवृत्ति के समय कैडर	बीमित राशि	संशोधित देय प्रीमियम राशि	संशोधित देय प्रीमियम राशि (GST सहित)
अधिकारी	रु. 4,00,000	रु. 41,450	रु. 48,911
कर्मचारी	रु. 3,00,000	रु. 31,050	रु. 36,639

तत्क्रम में सूचित रहें कि संदर्भित ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी के दिनांक 01.09.2023 से 31.08.2024 की अवधि के लिए प्रस्तावित नवीनीकरण में संशोधित देय प्रीमियम राशि (GST सहित) के अतिरिक्त अन्य समस्त नियम व शर्तें प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या प्र०का०/04/ बी.आर/ इन्श्योरेंस/2023-24/137 दिनांकित 17.08.2023 के सामान यथावत रहेंगी।

बैंक की समस्त शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए समस्त कार्मिकों को परिपत्र की विषय वस्तु से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार कश्यप)

महाप्रबंधक

संलग्नक : उपरोक्तानुसार